

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 130/11

संस्थापन दिनांक :- 24/05/11

फाईलिंग नं. 233504000032011

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

पप्पू उर्फ शरद पिता निर्भीचंद जयसवाल
उम्र 30 वर्ष, निवासी बोड़खी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 21.08.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 26.03.2011 को समय रात्रि 09:10 बजे बंधा रोड पम्प हाऊस के पास बोड़खी आमला में सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से रूपये की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।

2 प्रकरण में अभियुक्त विरेंद्र, कैलाश, तोषीक, भरत एवं राजा उर्फ नितीन के संबंध में निर्णय उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर दिनांक 13.12.2011 को घोषित किया जा चुका है। यह निर्णय केवल अभियुक्त पप्पू उर्फ शरद के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 26.03.2011 को थाना प्रभारी अशोक घनघोरिया को मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त पप्पू उर्फ शरद जयसवाल अपने घर के पीछे रोड पर पम्प हाऊस के पास अपने 5-6 लोगों के साथ बिजली खम्बे की ट्यूब लाईट के नीचे जुआ खिला रहा है। उक्त सूचना उसने रोजनामचा सान्हा क. 1070 में दर्ज कर खानगी सान्हा क. 1071 दर्ज कर मय स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां ट्यूब लाईट की रोशनी में अभियुक्त पप्पू उर्फ शरद व अन्य 5 व्यक्ति हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। जिन्हें उसने घेराबंदी कर पकड़ा। मौके से कुल 30,700/- रुपये नगद, 52 ताश के पत्ते, एक लाल नीले रंगी की साल जप्त

कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात थाने आकर वापसी सान्हा क. 1072 दर्ज कर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 70/11 अंतर्गत धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.03.2011 को समय रात्रि 09:10 बजे बंधा रोड पम्प हाऊस के पास बोड़खी आमला में सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से रुपये की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 जाकिर खान (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि ६ टना दिनांक को जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तब वह अन्य स्टाफ के साथ बंधा रोड पम्प हाऊस के पास गया था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक खुली जगह पर अभियुक्त पप्पू उर्फ शरद एवं अन्य अभियुक्तगण ताश के पत्तों पर हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा तथा अभियुक्तगण से छह: मोबाईल, 30,700/- रुपये नगद एवं ताश के पत्ते जप्त किये गये थे। कुवरसिंह (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को अशोक घनघोरिया के साथ बंधा रोड बोड़खी पहुंचा था। वहां पर पप्पू जीत हार का दांव लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहा था। टीआई अशोक घनघोरिया ने पैसे एवं पत्ते जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। कड़कसिंग (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह टीआई एवं अन्य स्टाफ के साथ सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा था तब अभियुक्त ताश के पत्तों से जुआ खेल रहा था। टीआई साहब ने ताश के पत्ते, पैसे जप्त किये थे। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किये थे लेकिन जप्ती एवं गिरफ्तारी उसके सामने हुई थी। अभियुक्त से ताश के पत्ते और लगभग 30,000/- रुपये जप्त किये गये थे।

7 धर्मेन्द्र (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त से कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी लेकिन जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी से अभियोजन अधिकारी

द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि वह दिनांक 26.03.2011 को पुलिस वाहन को लेकर बंधा रोड पम्प हाउस के पास गया था। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि वह गाड़ी में बैठा था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त से पैसे एवं ताश के पत्ते जप्त किये गये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह पुलिस की गाड़ी चलाता है तथा उसे अभियुक्त द्वारा ताश के पत्ते खेलने की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया गया है। फलतः अभियोजन को इस साक्षी से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

8 जाकिर खान (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जैसे ही वह मौके पर पहुंचे तब कुछ अभियुक्तगण घटना स्थल से भाग गये थे। कुछ लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा गया था। पकड़े गये अभियुक्तगण से एक-एक मोबाईल और कुछ रुपये जप्त किये गये थे। साक्षी ने यह बताया है कि वह यह नहीं बता सकता है कि किस अभियुक्त से कितने रुपये जप्त किये गये थे लेकिन कुल 30,700/- रुपये जप्त किये गये थे। कुवरसिंह (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे आज इस बात का ध्यान नहीं है कि घटना सुबह की थी या शाम की थी। मौके पर वह थाने की गाड़ी से थाना प्रभारी के साथ गया था और कुछ स्टाफ मोटर सायकिल से था। इस सुझाव को गलत बताया है कि जैसे ही मौके पर पहुंचे तो कुछ अभियुक्तगण भाग गये थे जिनसे कुल 30,000/- रुपये की जप्ती हुई थी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि जप्ती उसकी के समक्ष हुई थी लेकिन किससे कितनी हुई उसे इस बात की जानकारी नहीं है। कड़कसिंग (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि मौके पर बहुत सारे लोग थे। स्वतः कहा कि केवल 5-6 लोग खेलने वाले थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे यह नहीं मालूम है कि कितने-कितने के नोट थे। स्वतः कहा कि 100-100 रुपये के नोट थे। किस अभियुक्त से क्या-क्या जप्त किया गया था इसकी उसे जानकारी नहीं है। सारी कार्यवाही थाना प्रभारी के द्वारा की गयी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि घेराबंदी करके अभियुक्तगण को पकड़ने के बाद सीधे थाने लेकर आ गये थे।

9 प्रकरण में अभियोजन को विवेचक साक्षी अशोक घनघोरिया को परीक्षित कराये जाने हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। विवेचक साक्षी के साथ हमराह अभियोजन साक्षी जाकिर खान (अ.सा.-2) कुवरसिंह (अ.सा.-3) कड़कसिंग (अ.सा.-4) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। अभियोजन कथा अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस वाहन से मौके की ओर रवानगी हुई तथा मौके के ठीक पहले पुलिस वाहन को छोड़कर पैदल मौके पर पहुंचा गया। मौके पर बहुत सारे लोग ट्यूबलाईट के नीचे रोशनी में जुआ खेल रहे थे जिन्हें गवाहों एवं स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं उन्हें

अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा गया और उनसे जप्ती की गयी। जबकि न्यायालय में पुलिस जाकिर खान (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि मौके पर कई सारे लोग भाग गये थे। कुवरसिंह (अ.सा.-3) ने यह गलत बताया है कि गाड़ी देखकर बहुत सारे लोग भाग गये थे तथा कड़कसिंग (अ.सा.-4) ने इस सुझाव को गलत बताया है कि मौके पर पहुंच सारे लोग थे। स्वतः कहा कि 4-5 लोग थे। इस प्रकार समस्त अभियोजन साक्षीगण ने विरोधाभासी कथन किये हैं तथा किसी भी साक्षी के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि अभियुक्त से कितने रुपये की जप्ती हुई थी। किसी भी साक्षीगण के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त के द्वारा ताश के पत्तों के साथ खेले जाने वाला खेल कौशल पर आधारित खेल न होकर जुआ था। अतः ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त लोक स्थान पर ताश के पत्तों से रुपये की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 26.03.2011 को समय रात्रि 09:10 बजे बंधा रोड पम्प हाऊस के पास बोड़खी आमला में सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से रुपये की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला। अतः अभियुक्त पप्पू उर्फ शरद जयसवाल को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्तशुदा 52 ताश के पत्ते एवं एक नीले रंग का सॉल अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किये जावे एवं जप्तशुदा 30,700/- रुपये राजसात किये जावे। अपील होने की दशा में जप्त शुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
मुद्रलिखित।
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)